कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर

प्रबन्धक शम्भु दयाल पब्लिक स्कूल
सोहरखा नोएडा गौतमबुद्धनगर

पत्रांक मान्यता / 631-32 /2006-2007 दिनांक 25-5-06

विषय : प्राइमरी स्तर की स्थायी मान्यता की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर एवं जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 9/5/2006 में लिये गये निणर्यानुसार विशेष सचिव उ0 प्र0 शासन शिक्षा (6) अनुभाग संख्या 1873/16.06.98–18/एतद् (7) 89 लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर 1998 के अनुपालन में स्थायी मान्यता निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1. विभाग से अनुमति प्राप्त किया बिना कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाये कदापि संचालित न की जाये।
2. विभाग द्वारा स्वीकत पाठयकम लागू किया जाय। अस्वीकृत पुस्तकें प्रयोग न की जाये।
3. निर्धारित शुल्क से ज्यदा कदापि न लिया जाये।
4. मान्यता विषय पत्रों में द्री गई सूचना गलत पाये जाने तथा विभागीय आदेशों तथा निर्देशों के अनुपालन न होने पर स्थायी मान्यता समाप्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
5. कार्यरत अध्यापक/कर्मचारियों को विभाग द्वारा स्वीकृत वेतन तथा भत्ते निश्चित रूप से बैंक के माध्यम से किये जाये। अह अध्यापको को उनके पद पर स्थाई किया जाय तथा उन्हें प्राविधायी की सुविधा दी जाय।
6. ग्राउन्ड डेस्को की व्यवस्था की जाय।
7. विगागीय कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक मान्यता / /2006-2007 तददिनांक

1. प्रतिलिपि सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र बिसरख को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्ध नगर

Manager
Sambhu Dayal Public School
Soharkha Sec-115, Noida
G. B. Nagar

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

सेवा में,

प्रबन्धक,
शम्भू दयाल पब्लिक जू. हा. स्कूल,
सोहरखा जाहिदाबाद नोयडा, गौतमबुध्दनगर

पत्रांक संः शि0स0/1551-55 /2007-08 दिनाँक 31-8-07

विषयः– जूनियर स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पत्र एवं निरीक्षक वर्ग की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता, समिति की बैठक दिनांक 21-8-2007 में लिये गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646/15–6–97–18 एस (7) 89/शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतिपय प्रतिबन्धी के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

प्रतिबन्ध :–

1) विद्यालय की अस्थायी मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक कि स्थायी मान्यता की शर्ते पूर्ण कर अस्थायी मान्यता को स्थायी मान्यता मे परिवर्तित नहीं करा ली जाती।
2) प्रबन्धाधिकरण को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को मिनिमम वेजजऐक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन का भुगतान करना होगा।
3) विद्यालय में छात्रों के चरित्र निमार्ण से सम्बंधित एवं राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्रति के लिये जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये।
4) समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये।
5) शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समरत्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा। भवन शुल्क/कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा।
6) मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान आर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे होंगे।
7) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सेक्शन न तो बन्द किया जायेगा और खोला जायेगा न समाप्त किया जायेगा।
8) विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
9) विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा।
10) विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

Manager
Sambhu Dayal Public School
Soharkha Sec-115, Noida
G. B. Nagar

11) विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये।

12) विभागीय आदेशों का पालन किया जाये।

13) विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।

14) विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा।

15) विभागीय आदेशों/नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है।

16) जिन विद्यालयों के शिक्षण कक्ष छोटे है वह 10 स्क्वायर फीट के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित करने हुए छात्रों को बैठाये तथा भविष्य में विभागीय निर्धारित माप 20x25 की माप के कक्षों का निमार्ण करायें।

भवदीय,

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

पृ0सं0 शि0स0/ /2007-08 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र. इलाहाबाद।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., इलाहाबाद।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
4. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर
5. शिक्षा अधीक्षक/अधीक्षिका नगर क्षेत्र,
6. क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिसरख

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
मेरठ मण्डल मेरठ

Ckg/jhr/mmm